भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-415

उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिशत

†415. श्री मनोज कुमार:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटी आदि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है और इनका प्रतिशत कितना है और शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए आरक्षित कुल रिक्तियों और लंबित रिक्तियों की संख्या और प्रतिशत का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विश्वविद्यालय/संस्था-वार तथा सेवा/ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटी आदि में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षित शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की रिक्तियों और बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने/विज्ञापन देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा विशेष अभियान कब तक चलाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटी आदि संसद के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत अधिनियमों/संविधानों/अधिसूचनाओं/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संचालित होते हैं। स्वायत्त संस्थान होने के कारण संकाय एवं गैर-संकाय पदों की भर्ती संस्थान स्वयं अपने अधिनियमों एवं विनियमों के अनुसार करते हैं। भर्ती संबंधी अधिकार गवर्नर बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास होते है और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने तथा मौजूदा संस्थाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता विस्तार संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

सरकार ने इन सीएचईआई में शिक्षक संवर्ग के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए दिनांक 09.07.2019 को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण)

अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया। उक्त अधिनियम के अनुसरण में दिनांक 12.7.2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

गुणवत्तायुक्त संकायों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें वर्ष भर खुला विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड़ में भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रण आदि शामिल हैं। संकाय भर्ती प्रक्रियाएं बहु-चरणीय एवं सुदृढ़ जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। विभिन्न संस्थाओं के अधिनियमों और संविधियों में चयन समितियों की संरचना, विभिन्न स्तरों के संकाय की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्तियों आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है, ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और शैक्षिक दृढता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक साझा पोर्टल 'सीयू-चयन' शुरू किया है, जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है, तथा इस प्रकार पूर्ण भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।

अगस्त 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) से अनुरोध किया गया कि वे अपने संस्थानों में लंबित रिक्तियों को भरने हेतु मिशन मोड में विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को पुनः निर्देशित किया कि वे मिशन मोड में रिक्तियों को भरें। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से फिर से अनुरोध किया गया कि वे एक वर्ष की अवधि के भीतर मिशन मोड में सभी लंबित रिक्तियों को भरें।

सितंबर 2022 से, सभी उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) शामिल हैं, ने रिक्तियों को भरने हेतु मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 24.10.2025 (अर्थात् 17वां 'रोज़गार मेला' की तिथि) तक, सभी सीएचईआई द्वारा 17,494 संकाय पद सहित कुल 29,979 पदों को भरा गया है। उक्त अवधि के दौरान, सीयू, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी और एनआईटी ने सामूहिक रूप से 28,639 पदों को भरा है, जिनमें 3,485 अनुसूचित जाति (एससी), 1,471 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 6,013 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पद भी शामिल हैं।

संसद के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की गई है तथा ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एम्स दिल्ली में कुल 781 पदों पर 118 अनुसूचित जाति (एससी), 40 अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा 168 अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के संकाय सदस्य शामिल हैं।
